न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 001/2011

प्रार्थी

विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत नांदिया जरिए सरपंच ग्राम पंचायत नांदिया तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री वनाराम पुत्र श्री दलाजी जाति घांची निवासी नांदिया तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. श्री सहायक विकास अधिकारी सिरोही प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 15.04.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, नांदिया द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 001025 दिनांक 25.02.2004 वर्गफीट 1451.3 को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत जारी किया गया है, जो विधिविरूद्ध है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण मे दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:17:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से सहायक विकास अधिकारी सिरोही द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियमों के विपरित राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत पट्टा संख्या 001025 दिनांक 25.02.2004 वर्गफीट 1451.3 जारी किया गया है। पंचायत के अभिलेख में पट्टे के विक्रय के संबंध मे मिसल दायर संख्या 21/2003–04 दर्ज की गई है तथा पट्टे की भी मिसल संख्या 21/2003–04 दर्ज है। प्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया कि ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को विवादित भूमि का पट्टा पैतृक सम्पत्ति (50–60 वर्ष पुराना कब्जा) मानकर जारी किया गया है जबकि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा विवादित भूमि

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

का पट्टा दिनांक 05.12.1975 को राजस्थान पंचायत नियम 1961 के नियम 267 (निःशुल्क आवंटन) के तहत श्री अकबरखां पुत्र श्री करीमजी जाति मुसलमान निवासी नांदिया को 1350 वर्गफुट का जारी किया गया था, लेकिन श्री अकबरखां पुत्र श्री करीमजी द्वारा पट्टे की शर्त संख्या 8 के अनुसार दो वर्ष के भीतर–भीतर मकान नहीं बनाने के कारण विवादित भूमि पुनः ग्राम पंचायत नांदिया में समाहित हो गई। अप्रार्थी संख्या दो विवादित भूमि पर कभी भी पुराना कब्जा नहीं रहा है। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा दिनांक 05.12.1975 को श्री नरसाराम पुत्र सूरजी लकारा निवासी नांदिया को 1350 वर्गफुट का निःशुल्क पट्टा आंवटित किया जिसकी चतुर्दशी में दक्षिण दिशा में श्री अकबरखां का भूखण्ड अंकित है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा दिनांक 18.02.1997 को श्री राजेश कुमार पुत्र श्री बाबूलाल निवासी नांदिया एवं श्री विक्रम कुमार पुत्र श्री बाबूलाल निवासी नांदिया को आम नीलामी में विक्रय किए गए भूखण्ड का पट्टा संख्या 47 एवं 48 की चतुर्दशी में उत्तर दिशा में श्री अकबरखां पुत्र श्री करीमजी का भूखण्ड अंकित है। अतः अप्रार्थी संख्या दो का विवादित भूमि पर गलत रूप से 50–60 वर्ष पुराना कब्जा बताकर नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित पट्टा संख्या 001025 दिनांक 25.02.2004 वर्गफीट 1451.3 को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 157 (ख) के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा पुराने कब्जे के आधार पर ही अप्रार्थी संख्या दो को पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी संख्या दो का विवादित भूमि पर वर्षो पुराना कब्जा है। विवादित भूमि पर अप्रार्थी संख्या दो के स्वामित्व का मकान व भूखण्ड है, जिस पर अप्रार्थी संख्या दो के नाम विद्युत कनेक्शन, जल कनेक्शन आदि लिए हुए है। उक्त मकान पर अप्रार्थी संख्या दो अपने परिवार के साथ पुश्तैनी समय से निवासरत है। विवादित भूमि पर अप्रार्थी संख्या दो का मकान पुश्तैनी कब्जा भोगवटे का है जिस पर कभी भी श्री अकबरखां पुत्र श्री करीमजी का कब्जा नहीं रहा है। यदि ग्राम पंचायत ने पूर्व में किसी भी व्यक्ति को पट्टा जारी किया है तो वह अवैध एवं नियमों के विपरीत है एवं कानून की नजर में शून्य एवं वातिल है। जिससे अप्रार्थी संख्या बाधित नहीं है। विवादित भूखण्ड ग्राम पंचायत नांदिया के स्वामित्व का कभी नहीं रहा। प्रार्थी ने अप्रार्थी को हैरान परेशान करने की नियत से यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:17:49 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या दो को उक्त पट्टा ग्रा[illegible] नांदिया द्वारा पंचायत के प्रस्ताव लेकर जारी किया गया है । राजस्थान पंच[illegible] राज [illegible] 1996 के नियम 157 (ख) के तहत जारी किया गया है [illegible] अधिवक्ता [illegible] कथन है कि ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को विवादित भूमि का [illegible] पैतृक सम्पत्ति (50–60 वर्ष पुराना कब्जा) मानकर जारी किया गया है जबकि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा विवादित भूमि का पट्टा दिनांक 05.12.1975 को राजस्थान पंचा[illegible] नियम 1961 के नियम 267(निःशुल्क आवंटन) के तहत श्री अकबरखां पुत्र श्री करीमजी जाति मुसलमान निवासी नांदिया को 1350 वर्गफुट का जारी किया गया था, लेकिन श्री अकबरखां पुत्र श्री करीमजी द्वारा पट्टे की शर्त संख्या 8 के अनुसार दो वर्ष के भीतर–भीतर मकान नहीं बनाने के कारण

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

विवादित भूमि पुनः ग्राम पंचायत नांदिया में समाहित हो गई। अप्रार्थी संख्या दो विवादित भूमि पर कभी भी पुराना कब्जा नहीं रहा है। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा दिनांक 05.12.1975 को श्री नरसाराम पुत्र सूरजी लकारा निवासी नांदिया को 1350 वर्गफुट का निःशुल्क पट्टा आंवटित किया जिसकी चतुर्दशी में दक्षिण दिशा में श्री अकबरखां का भूखण्ड अंकित है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा दिनांक 18.02.1997 को श्री राजेश कुमार पुत्र श्री बाबूलाल निवासी नांदिया एवं श्री विक्रम कुमार पुत्र श्री बाबूलाल निवासी नांदिया को आम नीलामी में विक्रय किए गए भूखण्ड का पट्टा संख्या 47 एवं 48 की चतुर्दशी में उत्तर दिशा में श्री अकबरखां पुत्र श्री करीमजी का भूखण्ड अंकित है। अतः अप्रार्थी संख्या दो का विवादित भूमि पर गलत रूप से 50–60 वर्ष पुराना कब्जा बताकर नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थी संख्या दो का विवादित भूमि पर वर्षो पुराना कब्जा है। विवादित भूमि पर अप्रार्थी संख्या दो के स्वामित्व का मकान व भूखण्ड है, जिस पर अप्रार्थी संख्या दो के नाम विद्युत कनेक्शन, जल कनेक्शन आदि लिए हुए है। उक्त मकान पर अप्रार्थी संख्या दो अपने परिवार के साथ पुश्तैनी समय से निवासरत है। विवादित भूमि पर अप्रार्थी संख्या दो का मकान पुश्तैनी कब्जा भोगवटे का है जिस पर कभी भी श्री अकबरखां पुत्र श्री करीमजी का कब्जा नहीं रहा है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर दिनांक 05.12.1975 को पट्टा श्री अकबरखां पुत्र श्री करीमजी जाति मुसलमान निवासी नांदिया को जारी किया गया था। ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को उक्त पट्टा 50–60 वर्ष पुराना पुश्तैनी कब्जा मानकर जारी किया गया है। जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम 31.12.1996 से प्रभावी है तथा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (ख) के अनुसार–

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (ख)– 31.12.1996 से ठीक पूर्ववर्ती 50 वर्ष के दौरान = 200 रूपए संनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

इस प्रकार विवादित पट्टा की प्रक्रिया उक्त नियम में परिभाषित नहीं होती है। ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा श्री नरसाराम पुत्र श्री सुरजी लकारा निवासी नांदिया को दिनांक 05.12.1975 में जारी पट्टे की चतुर्दशी में दक्षिण दिशा में श्री अकबरखां का भूखण्ड अंकित किया है तथा श्री राजेशकुमार पुत्र श्री बाबूलाल एवं श्री विक्रम कुमार पुत्र श्री बाबूलाल को जारी पट्टे संख्या क्रमशः 47 व 48 दिनांक 18.02.1997 में अंकित चतुर्दशी में उत्तर दिशा में श्री अकबरखां पुत्र करीमजी का भूखण्ड अंकित है जिससे स्पष्ट है कि वर्ष 1997 तक अप्रार्थी संख्या दो का विवादित भूखण्ड पर कब्जा नहीं रहा है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा विवादित भूमि पर विद्युत एवं जल कनेक्शन लिए हुए है परन्तु वे यह साबित नहीं सके कि जल एवं विद्युत कनेक्शन उक्त भूखण्ड पर ही लिए हुए हैं। पत्रावली पर ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित हो कि विवादित भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या दो का वर्षो पुराना कब्जा हो। उपरोक्त सभी अनि[illegible]ायालय ग्राम पंचायत नांदिया द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी [illegible]ायसंगत नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र [illegible] पंचायत नांदिया द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा सं.001025 दिनांक 25.02.2004 वर्गफीट 1451.3 को निरस्त किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:17:49 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे इजलास, सुनाया गया।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner